छठी पंचवर्षीय योजना में जिलों के विकास के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशों को योजनाओं में शामिल करना

4508 **श्री जैनुल बशर** क्या : **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के विकास के बारे में पटेल आयोग की सिफारिशें पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उक्त जिलों के विकास के लिए पटेल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन दल बनाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों, अर्थात् गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर के लिए पटेल समिति की अधिकतर सिफारिशें 1964-65 और 1965-66 की अवधि में केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सहायता से कार्यान्वित की गई थीं । बाद में राज्य सरकार अपने ही साधनों से विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है । पिछले कुछ वर्षों में, इन जिलों का (1) लघु कृषक विकास अभिकरण, (2) एकीकृत ग्रामीण विकास, (3) नियतण, क्षेत्र, और (4) खण्ड स्तर आयोजना से संबंधित केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों से भी लाभ पहुंचा है ।

(ग) पटेल समिति रिपोर्ट अब पुरानी हो गई है, परन्तु इस समिति द्वारा यथा परिकल्पित एकीकृत विकास की सकल्पना को छठी योजना को तैयार करने में आवश्यक प्राथमिकता दी जाएगी । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छठी योजना में अब शामिल किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना है ।

(घ) राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है । संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है ।

योजना आयोग में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

4509 : **श्री राम विलास पासवान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में लिपिक वर्गीय और तकनीकी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों की ग्रेडवार संख्या कितनी है ;

(ख) योजना आयोग और उससे सम्बद्ध कार्यालयों में लिपिक वर्गीय तथा तकनीकी पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) क्या योजना आयोग में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण सिद्धांतों के अनुसार पर्याप्त है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों जो लम्बे समय से रिक्त पडे है को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी--1097/80]

(ग) और (घ) : कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटा से कम होती है और ऐसे उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए किए गए भरसक प्रयत्नों के बावजूद, उनके लिए आरक्षित कुछ पद खाली रहे है। रोस्टर में आरक्षित पद निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अग्रेनीत किए जा रहे है।

(ङ) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा अनुशिक्षण संदर्शन केन्द्र स्थापित किये है जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उमीदवार सरकारी सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढा सकें ।